संख्या-89/2018/938/22-4-18-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-08 अगस्त, 2018

विषय- जनपद न्यायालय कन्नौज एवं जिला कारागार, कन्नौज में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21918/नम-2/25टीसी-9, दिनांक 15.08.2018 एवं पत्र संख्या-26881/नम-2/25टीसी-9, दिनांक 26.07.2018 एवं मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2015, शासनादेश संख्या-04/2016/48/22-4-16-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 18.01.2016 तथा पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-15/2018/234/22-4-18-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 26.02.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचरोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद न्यायालय कन्नौज एवं जिला कारागार, कन्नौज में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 7,67,000/-(रूपया सात लाख सरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जांय।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 29.03.2015 एवं 18.01.2016 तथा पुनरीक्षित विषयक शासनादेश दिनांक 26.02.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-89/2018/938(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कन्नौज।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in